<u>2023 का विधेयक सं.10</u>

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 39 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 39 की उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (घ) के उप-खण्ड (vi) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न "," प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ङ) कि उसके निर्वाचन के पश्चात्, राज्य सरकार की जानकारी में यह आया है कि निर्वाचन की तारीख को वह, इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु धारा 21 के अधीन अर्हित नहीं था या धारा 14 या धारा 24 के अधीन निरर्हित था, और नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसका निर्वाचन किसी निर्वाचन याचिका द्वारा प्रश्नगत नहीं किया गया है और निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा काल का अवसान हो गया है:"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 नगरपालिका के किसी सदस्य को हटाये जाने के लिए उपबंध करती है। इस धारा की उप-धारा (1) का खण्ड (ग) उपबंध करता है कि किसी सदस्य को, यदि उसने अपने निर्वाचन के पश्चात् धारा 14 या धारा 24 में वर्णित कोई भी निरर्हता उपगत कर ली है या वह धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, हटाया जा सकता है।

तथापि, उक्त धारा में ऐसे किसी सदस्य को, जिसने धारा 14 या धारा 24 में वर्णित किसी भी निरर्हता के होने या धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किये जाने के तथ्य को नामांकन के समय छिपाया हो, हटाने का कोई आधार नहीं है। इस अधिनियम में ऐसे सदस्य को निर्वाचन से पहले की निरर्हताओं के लिए हटाने का केवल एक उपचार उपलब्ध है, अधिनियम की धारा 31 के अधीन निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करना, वह भी एक माह की अवधि के भीतर-भीतर की जाये।

इसलिए, राज्य सरकार ने ऐसे सदस्य, जो निर्वाचन की तारीख को धारा 14 या धारा 24 के अधीन निरर्हित था या धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता था, को उक्त आधार पर हटाये जाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 39 में उपबंध करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, धारा 39 के उप-खण्ड (1) में एक नया खण्ड (ङ) जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

39. सदस्य का हटाया जाना.- (1) राज्य सरकार, उप-धारा (3) और (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकेगी, अर्थात्:-

(क) से (ग) XX XX XX XX XX

(घ) कि-

(i) से (v) XX XX XX XX

(vi) उसने ऐसे सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का किसी रीति से अन्यथा दुरुपयोग किया है:

परन्तु हटाये जाने का कोई आदेश, राज्य सरकार द्वारा, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और जिसे वह या तो स्वयं करे या किसी ऐसे विद्यमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से, जो राज्य स्तरीय सेवा की रैंक से नीचे का न हो, या ऐसे प्राधिकारी से, जिसका वह निदेश दे, करवाये, और संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर दे दिये जाने के पश्चात्, पारित किया जायेगा।

(2) से (7) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

Bill No. 10 of 2023

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 39 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009),-

(i) in sub-clause (vi) of clause (d), for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark "," shall be substituted; and

(ii) after clause (d) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

> "(e) that after his election, it has come to the knowledge of the State Government that on the date of election, he was not qualified under section 21 or was disqualified under section 14 or section 24, to be chosen to fill the seat under this Act and his election as a member of a Municipality has not been questioned by an election petition and period of limitation for filing election petition has expired:".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 39 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 provides for removal of member of a Municipality. Clause (c) of sub-section (1) of this section provides that a member can be removed if after his election he has incurred any of the disqualifications mentioned in section 14 or section 24 or has ceased to fulfill the requirement of section 21.

However, there is no ground in the said section to remove a member who, has concealed the fact of his possessing any of the disqualifications mentioned in section 14 or section 24 or did not fulfill the requirements of section 21 at the time of nomination. To remove such member for pre-election disqualifications, the only remedy available in the Act, is filing an election petition under section 31 of the Act, that too within a period of one month.

So, the State Government has decided to make a provision in section 39 of the said Act for removal of such member on the ground that he was disqualified under section 14 or section 24 or did not fulfill the requirement of section 21 on the date of election. Accordingly, a new clause (e) in sub-section (1) of section 39 is proposed to be added.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009

(Act No. 18 of 2009)

XX XX XX XX XX XX

39. Removal of member.- (1) The State Government may, subject to the provisions of sub-Sections (3) and (4), remove a member of a Municipality on any of the following grounds, namely: -

(a) to (c) xx xx xx xx

(d) that he has

(i) to (v) xx xx xx xx

(vi) otherwise abused in any manner his position as such member:

Provided that an order of removal shall be passed by the State Government after such inquiry as it considers necessary to make either itself or through such existing or retired officer not below the rank of State level services or authority as it may direct and after the member concerned has been afforded an opportunity of explanation.

(2) to (7) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 10 of 2023

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Shanti Kumar Dhariwal, **Minister-Incharge**)

2023 का विधेयक सं. 10

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(शान्ती कुमार धारीवाल, **प्रभारी मंत्री**)